(36)

आयोजनेत्तर

संख्या– /XXII/2011–3(2)2011

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग देहरादून : दिनांक 04 अक्टूबर 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1320/सू.एवं.लो.स.वि.(लेखा)/बजट/2011, दिनांक 18 अगस्त, 2011 तथा पत्र संख्या–1352/सू.एवं.लो.स.वि.(लेखा)/बजट/2011, दिनांक 23 अगस्त, 2011 के सन्दर्भ एवं शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या–157/XXII/2010–3(2)2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2011, शासनादेश संख्या–184/XXII/2010–3(2)2011/टी.सी, दिनांक 29 अप्रैल, 2011, शासनादेश संख्या–173/XXII/2011–3(2)2011, दिनांक 05 मई, 2011, शासनादेश संख्या–247/XXII/2011–3(2)2011, दिनांक 03 जून, 2011 शासनादेश संख्या–252/XXII/2011–3(2)2011, दिनांक 10 जून, 2011, शासनादेश संख्या–204/XXII/2011–2(2)2011, दिनांक 27 जुलाई, 2011 तथा शासनादेश संख्या–309/XXII/2011–3(2)2011, दिनांक 29 जुलाई, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नलिखित मदों में अवशेष प्राविधानित धनराशि रू0 50750.00 हजार (रूपये पांच करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 हजार में)

लेखाशीर्षक/उपलेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	4
2220–सूचना तथा प्रसार 60–अन्य 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान व्यय	08–कार्यालय व्यय 22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	250 500
	योग	750
2220–सूचना तथा प्रसार 60–अन्य 101–विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार 05–अधिष्ठान	19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50000
	योग	**50000**
	कुल योग	**50750**

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3– धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं उक्त शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

4– वित्तीय वर्ष 2011–12 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो के एरियर भुगतान यदि काई हो तो उसके विवरण की सूचना विभाग द्वारा अलग से रखी जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–14 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत उपर्युक्त तालिका में इंगित लेखाशीर्षकों/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ.शा. पत्र सं.–121 NP/XXVII(5)/2011 दिनांक 23 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या– 351 (1)/XXII/2011–3(2)2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–5/7, वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।